न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पंचायत निगरानी संख्या 17 / 16 **वर्ष 2016**

RCMS NO.(2017 / 00084)

बउनवानीः— राधाकृष्ण पुत्र जानकी लाल ब्राहाम्ण निवासी खण्डार तह0खण्डार,जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र जानकी लाल जाति ब्राहामण निवासी खण्डार तह0 खण्डार जिला स0मा0
2. ग्राम पंचायत खण्डार जरिये सरपंच, ग्रा.प.खण्डार तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर

(निगरानी पटटा संख्या 164 आदेश दिनांक 23.8.2014 सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल वकील निगरानीकार

2. श्री पारस मल जैन वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक 28.01.2020

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ,ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा दिनांक 23.8.2014 को जारी पटटा संख्या 164 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त आदेश दिनांक 23.8.2014 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील प्रार्थी ने दौराने सुनवायी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.8.2014 को पटटा संख्या 164 तथ्य एवं विधि के विपरीत जाकर जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम पंचायत किसी भी आबादी भूमि का विक्रय बिना निलामी के नही करेगी यदि किन्ही कारण से निलामी के बिना विक्रय करती है तो कारण दर्शाते हुए पहले निर्णय करेगी। उक्त पत्रावली मे ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी से साझ कर बिना किसी आधार पर निलामी की कार्यवाही नही कर जो निर्णय किया है वह विधि के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त है क्योकि विवादित स्थल पर कभी भी अप्रार्थी प्रहलाद के कब्जे व अधिकार मे नही रहा न ही विवादित स्थल पर कभी प्रहलाद का कोई मकान रहा है प्रहलाद का विवादित स्थल पर मकान होना व विवादित स्थल पर प्रहलाद का कब्जा होने संबंधी किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली में नही होते हुए भी योग्य अदालत मातहत ने प्रहलाद को पुराना मकान होना मानकर जो तजबीज की है वह खिलाफ कानून होने कारण काबिले खारिज है। यह तर्क भी दिया कि पंचायती राज नियम 148 के तहत आपत्ति नोटिस एक माह का जारी किया जाना आवश्यक है लेकिन ग्राम पंचायत ने आपत्ति नोटिस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही दिनांक 23.8.2014 को निर्णय किया है वह विधि के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। यह तर्क भी दिया कि प्रकरण से संबंधित विवादित स्थल पर कभी भी किसी प्रकार की मकानियत नही रही है बल्कि उस स्थल को प्रार्थी बाडे के रूप में काम मे लेता रहा है। आज भी उक्त स्थल पर प्रार्थी के बाडे के रूप में काम आ रहा है पंचायत के पंचो ने मौके पर जाकर किसी प्रकार का कोई मौका देखकर मौका रिपोर्ट नही बनायी है तथा अप्रार्थी से मिलकर आपत्ति नोटिस को विवादित भूमि पर चस्पा किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है। आदेशिका दिनांक 5.8.2014 मे 15 दिन का नोटिस दिये जाने का आदेश दिया गया है किन्तु योग्य अदालत मातहत ने आपत्ति नोटिस पर गौर किये बिना आपत्ति नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व जो निर्णय किया है वह खिलाफे कानून व नेचूरल जस्टिस के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है क्योकि आबादी भूमि के क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर तीन पंचो के द्वारा अपनी रिपोर्ट व राय देने के बाद ग्राम पंचायत को यह निर्णय करना होता है कि चाही गयी भूमि विक्रय योग्य है या नही? यदि पंचायत ऐसी भूमि को विक्रय योग्य मानती है तो ऐसी भूमि के लिए आपत्ति नोटिस नियम,148 के तहत एक माह का जारी करेगी उक्त पत्रावली मे नियम 147 के तहत कोई निर्णय नही किया गया बल्कि अंतिम निर्णय ही दिनांक 23.8.2014 को पारित कर दिया जो कि कानून के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है क्योकि ग्राम पंचायत ने एक ही भूमि के दो पटटे जारी कर दिये जबकि कब्जा दोनो का ही नही है । यह तर्क भी दिया कि पंचायत द्वारा प्रकरण मे दिनांक 23.8.2014 को निर्णय किया व पटटा संख्या 164 जारी किया किन्तु दिनांक 23.8.2014 तक किसी प्रकार की कोई राशि प्रहलाद के द्वारा जमा नही करवायी गयी जो कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से साबित होता है किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना राशि जमा किये ही दिनांक 23.8.2014 को प्रहलाद के पक्ष में पटटा विधि विरूद्व तरीके से जारी किया है जो काबिले खारिज है।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आदेश जैर निगरानी की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक दिनांक 10.7.2016 को होने पर नकल प्राप्त कर उक्त निगरानी जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी राधाकिशन द्वारा दिनांक 16.7.2014 को बद्रीनाथ जी मंदिर के पास स्थित अपने पुराने मकान का पटटा देने के क्रम में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.7.2014 को नक्शा बनाया जाकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु ठण्डीराम,खेमचन्द एवं राजीबाई वार्ड पंचों की कमेटी बनायी जाकर दिनांक 5.8.2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया जाने पर कमेटी द्वारा दिनांक 5.8.2014 को मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की जाने पर दिनांक 5.8.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति की आपत्ति प्राप्त नही होने की स्थिति में दिनांक 23.8.2014 को पटटा संख्या 164 मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी के पटटे की भूमि को पटटा संख्या 19 दिनांक 28.7.2014, की उत्तर की सीमा मे तथा पटटा संख्या 201 दिनांक 5.8.2014 की पूर्व की सीमा मे दर्शाया गया है जिससे पटटा संख्या 164 की भूमि अप्रार्थी राधाकिशन की होने की पुष्टि होती है कथन के समर्थन मे उक्त पटटों की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 29.11.2014 को नजराना राशि 9596/–रू जमा कराने के उपरान्त प्रार्थी को उक्त पटटा व फैसला फार्म की प्रति ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा मुझ अप्रार्थी के पक्ष मे पटटा संख्या 164 जारी करने से पूर्व सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही सम्पादित की जाकर विधिवत तरीके से जारी किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों की और से दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी राधाकिशन द्वारा दिनांक 16.7.2014 को बद्रीनाथ जी मंदिर के पास स्थित अपने पुराने मकान का पटटा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने ग्रा.प. द्वारा दिनांक 28.7.2014 को विधिवत वार्ड पंचों की कमेटी बनायी जाकर मौका रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 5.8.2014 को प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया जाने पर कमेटी द्वारा दिनांक 5.8.2014 को मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्रस्तुत होने पर दिनांक 5.8.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति की आपत्ति ग्रा.पंचात को प्राप्त नही होने की स्थिति में दिनांक 23.8.2014 को पटटा संख्या 164 अप्रार्थी प्रहलाद के पक्ष मे जारी किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा एक ही स्थान के दो पटटे जारी होना बताया है किन्तु यह नही बताया कि उक्त भूमि का दुसरा पटटा कौनसा एवं किसके नाम बना हुआ है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रतियां पटटा संख्या 19 दिनांक 28.7.2014,एवं पटटा संख्या 201 दिनांक 5.8.2014 की सीमाओं में अप्रार्थी राधाकिशन को जारी पटटा संख्या 164 की भूमि का अंकन है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार नजराना/फीस जमा कराने के उपरान्त ही अप्रार्थी द्वारा अपना पटटा ग्राम पंचायत से प्राप्त किया गया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटा विधि विरूद्व होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उक्त पटटा विधि विरूद्व माना जा सके। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त पटटा विधिसम्मत होने बाबत किये गये कथन की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से बखूबी हो जाती है। इस प्रकार अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा दिनांक 23.8.2014 को जारी किये गये पटटा संख्या 164 मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.04 15:46:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: